न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V, ... एच०जे०एस०

(J.O. Code- UP 6546)

दाण्डिक निगरानी संख्या 100 सन 2025

(CNR No. UPFT-01002452 2025)

विशुनलाल पुत्र बिहारीलाल निवासी सोथरापुर थाना खखरेरु जिला फतेहपुर।

..... निगरानीकर्ता

प्रति

1. राज्य उत्तर प्रदेश
2. गनेश प्रसाद पुत्र छोटेलाल निवासी लोहारपुर थाना खखरेरु जिला फतेहपुर।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता विशुनलाल की ओर से परिवाद संख्या 9050 सन 2023 विशुनलाल बनाम गनेश प्रसाद थाना खखरेरु जिला फतेहपुर के मामले में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, खागा फतेहपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.054.2025 से विक्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ता/परिवादी के परिवाद को अन्तर्गत धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/परिवादी ने अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय के तथ्यों का प्रस्तुत किया कि आवेदक ज्यादा पढ़ा–लिखा नहीं है। आवेदक का लड़का सुरेन्द्र कुमार शिक्षित बेरोजगार है जो उसके साथ गांव में ही रहकर खेती बारी में सहयोग करता है। आवेदक का पड़ोस के गांव लोहारपुर निवासी गनेश प्रसाद मिश्र के यहां आना–जाना एवं जान–पहचान है। जिसने उसके लड़के सुरेन्द्र कुमार को रेलवे में लिपिक पद की नौकरी

दिलवाने हेतु कहा कि मेरे सगे रिश्तेदार रेलवे में अधिकारी है, मैं तुम्हारे लड़के को रेलवे में नौकरी लगवा दूंगा। आपको मु०–4,00,000/– देना है। आपके लड़के की नौकरी गारण्टी के साथ लग जाएगी, यदि नौकरी नहीं लगेगी तो पूरा पैसा मैं वापस कर दूंगा। आवेदक इसी विवास में आकर दिनांक 15.01.2020 को मु०–1,00,000/– पुच्ची पुत्र सुरिजभान के समक्ष गनेश प्रसाद को दे दिया और शेष 2,00,000/– दिनांक 20.02.2020 को व 1,00,000/– (एक लाख रुपए) दिनांक 05.03.2020 को अमित पुत्र नत्थूलाल के समक्ष दे दिया। काफी दिन बीत जाने के बाद उक्त गनेश प्रसाद उसके लड़के सुरेन्द्र कुमार को अपने साथ लेकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कभी इलाहाबाद व कभी लखनऊ आता–जाता रहा, किन्तु लड़के की नौकरी नहीं लगी. तो आवेदक ने गवाहानों के सामने उक्त गनेश प्रसाद से रुपए वापसी हेतु कहा तो उल्टा आवेदक को ही गाली गलौज देने लगा और कहा कि दुबारा मुझसे पैसे न मांगना नहीं तो जान से मार दूंगा और धक्का मारकर गिरा दिया। उपरोक्त लोगों के बीच–बचाव पर गाली गलौज करते हुए चला गया। आवेदक ने घटना की सूचना थाना हाजा पर दी, कोई कार्यवाही न होने पर उच्चाधिकारियों को जरिए रजिस्ट्री सूचना दी, किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई।

विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 30.09.2023 के द्वारा आवेदक के प्रार्थनापत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया। तत्पश्चात प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रुप में दर्ज किये जाने के उपरान्त परिवादी बिशुनलाल का बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं बतौर साक्षी पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 क्रमश: साक्षी पुच्ची व अभिजीत कुमार का बयान अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवादी एवं उसके साक्षियों के बयानों के आधार पर विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु कोई आधार न पाते हुए परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया है।

3. संक्षेप में निगरानी का आधार यह है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत है। विद्वान अधीनस्थ मजिस्ट्रेट ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय पत्रावली का समुचित रूप से अवलोकन नहीं किया और बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। परिवादी एवं उसके साक्षियों के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया यह स्पषट है कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा गवाहान के समक्ष निगरानी के पुत्र की रेलवे में नौकरी लगवाने हेतु विभिन्न तिथियों पर रुपया–4,00,000/– लिया गया एवं काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी रेलवे में नौकरी न लगवा पाने पर

निगरानीकर्ता द्वारा जब रुपया वापस मांगा गया तो विपक्षी संख्या–2 द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। विपक्षी संख्या–2 द्वारा परिवादी का रुपया भी हडप लिया गया है, किन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट न इन तथ्यों पर बिना विचार किये प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अतएव प्रश्नगत आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने की याचना की गयी है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुना तथा आक्षेपित आदेश एवं अवर न्यायालय की मूल पत्रावली सहित सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5. विद्वान अवर न्यायालय के जिस प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.05.2025 को इस न्यायालय में चुनौती दी गयी है। उस आदेश के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद इस आधार पर निरस्त किया गया है कि निगरानीकर्ता की ओर से विपक्षी संख्या–2 को धनराशि दिये जाने का कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है और मामले को सिविल प्रकृति को माना है। अवर न्यायालय की पत्रावली पर विपक्षी संख्या–2 के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 32 सन 2023 अन्तर्गत धारा 406, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता थाना खखरेरु जिला फतेहपुर उपलब्ध है, जिसका कोई उल्लेख विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में नहीं किया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक व्यक्ति वादी मुकदमा मोहम्मद मुमताज खान उर्फ मुन्ना द्वारा विपक्षी संख्या–2 व उसके तीन पुत्रों के विरुद्ध नौकरी लगवाने का झांसा देकर धनराशि लिये जाने का आरोप लगाया है। उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिस पर वादी की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के आधार पर मामले को परिवाद के रुप में पंजीकृत किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि विपक्षी संख्या–2 पर पूर्व में भी इसी प्रकार का आरोप लगाया जा चुका है। इसके अलावा विपक्षी संख्या–2 की ओर से निगरानीकर्ता एवं अन्य के विरुद्ध योजित परिवाद संख्या 9022 सन 2023 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है, जिससे यह दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या–2 के मध्य विवाद विद्यमान है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जहॉ तक मामले का सिविल प्रकृति के होने का प्रश्न है। यदि विपक्षी संख्या–2 द्वारा निगरानीकर्ता को धोखा में रखकर उक्त धनराशि प्राप्त की गयी है तो उक्त धनराशि को प्राप्त करने के लिए निगरानीकर्ता सिविल वाद दायर नहीं कर सकता है। इसके लिए आपराधिक कार्यवाही ही सुसंगत होती है। उपरोक्त तथ्यों को

दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि अनुसार नहीं है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। तदनुसार निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता विशुनलाल द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.05.2025 अपास्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय में दिये गये निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकर्ता को पुन: सुनकर विधि अनुसार समुचित आदेश पारित करें।

अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब वापस भेजी जाय। पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.06.2026 को उपस्थित हो।

निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक: 02.06.2026

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: 02.06.2026

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.06.03 07:58:28 +05'30'